भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5075
24 मार्च, 2026 को उत्तरार्थ

विषय: **जायफल की खेती**
5075. श्री ईश्वरस्वामी के.:
क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) विगत तीन वर्षों के दौरान देश में और तमिलनाडु में विशेषकर पोल्लाची और उसके आस-पास के क्षेत्रों में जायफल की कुल कितनी खेती की गई है;
(ख) क्या सरकार समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) अथवा किसी अन्य केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत जायफल की खेती के लिए वित्तीय सहायता, राजसहायता या तकनीकी सहायता प्रदान करती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसी फसल बीमा योजनाओं के अंतर्गत जायफल किसानों को शामिल किया गया है और तमिलनाडु में इसके लाभार्थियों की संख्या कितनी है;
(घ) क्या जायफल की उत्पादकता, कीट प्रबंधन और फसल कटाई के बाद प्रसंस्करण में सुधार लाने के लिए कोई अनुसंधान, विस्तार या क्षमता निर्माण कार्यक्रम शुरू किए गए हैं; और
(ङ) पश्चिम तमिलनाडु में जायफल उत्पादकों के लिए मूल्यवर्धन, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और निर्यात लिंकेज को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): पिछले तीन वर्षों- वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के दौरान देश में और तमिलनाडु, विशेष रूप से पोल्लाची(कोयंबटूर जिले में) और आसपास के क्षेत्रों में, जायफल की खेती के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल का विवरण नीचे दिया गया है:

जायफल की खेती के अंतर्गत क्षेत्रफल

(**क्षेत्रफल हेक्टेयर में**)

	2022-23	**2023-24**	**2024-25**
कोयंबटूर	269	332	370
इरोड	4	2	2
नीलगिरी	20	21	21
तिरुपुर	11	10	16
तमिलनाडु राज्य	**420**	**491**	**537**
अखिल भारत	**24250**	**25743**	**26604**

(ख): देश में बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए कार्यान्वित की जा रही केंद्र प्रायोजित स्कीम, समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) के अंतर्गत, सामान्य क्षेत्रों में 2 हेक्टेयर तक के क्षेत्र के लिए अधिकतम पात्र लागत के 40% की दर से जायफल सहित बारहमासी मसालों के क्षेत्र विस्तार हेतु आनुपातिक आधार पर सहायता प्रदान की जा रही है; जबकि पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों, जनजातीय उपयोजना (टीएसपी) और अनुसूचित क्षेत्रों, जीवंत गांवों, अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप द्वीपों के मामले में, 2 हेक्टेयर तक के क्षेत्र के लिए अधिकतम पात्र लागत के 50% की दर से आनुपातिक आधार पर सहायता प्रदान की जा रही है।

इसके अतिरिक्त, सुपारी और मसाला विकास निदेशालय (डीएएसडी), तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय (टीएनएयू) के अंतर्गत विभिन्न अनुसंधान केंद्रों के माध्यम से जायफल की उच्च उपज वाली

किस्मों के न्यूक्लियस रोपण सामग्री के उत्पादन में सहयोग करता है। जायफल के न्यूक्लियस सामग्री उत्पादन कार्यक्रम को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद-भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान (आईसीएआर-आईआईएसआर), कालीकट; केरल कृषि विश्वविद्यालय, थिरस्सूर; कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय (यूएएस), बैंगलोर; डॉ. बालासाहेब सावंत कोंकण कृषि विद्यापीठ (डॉ. बीएसकेकेवीपी), दापोली और आईसीएआर-केंद्रीय तटीय कृषि अनुसंधान संस्थान (सीसीएआरआई), गोवा के माध्यम से भी कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ग): तमिलनाडु राज्य ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के अंतर्गत जायफल की फसल को अधिसूचित नहीं किया है।

(घ): जायफल पर अनुसंधान विभिन्न राज्य कृषि विश्वविद्यालयों (एसएयू) और आईसीएआर-आईआईएसआर, कालीकट द्वारा किया जाता है। ये संस्थान नियमित रूप से जायफल उत्पादन के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार/क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इन संस्थानों ने कई किस्में जारी की हैं, जैसे कि आईआईएसआर-विश्वाश्री और आईआईएसआर-केरलश्री, केएयू-पुल्लन, केएयू-कोचुकुडी, केएयू-मुंडथनम, केएयू-पूथारा, केएयू-पुन्नाथनम, कोंकण सुगंधा, कोंकण स्वाद, कोंकण श्रीमंती और कोंकण संयुक्ता, जो कि अच्छी गुणवत्ता वाले गुणों के साथ हैं। आईसीएआर-आईआईएसआर, कालीकट ने तमिलनाडु के उद्यमियों को आईसीएआर द्वारा निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप जायफल की गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री के बड़े पैमाने पर उत्पादन और वितरण के लिए गैर-विशिष्ट लाइसेंस प्रदान किए हैं।

आईसीएआर-आईआईएसआर, कालीकट ने नारियल-जायफल की अंतरफसल प्रणाली के लिए प्रबंधन पद्धतियाँ विकसित की हैं और पोषक तत्वों की कमी को दूर करने और बेहतर पौध स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए जायफल-विशिष्ट सूक्ष्म पोषक तत्वों का सूत्र तैयार किया है, जिससे अधिक उपज प्राप्त हो सके। आईआईएसआर ट्राइकोडर्मा बायो-कैप्सूल के आसान उपयोग और मृदा जनित रोगों के प्रभावी प्रबंधन को बढ़ावा देता है। आईसीएआर-आईआईएसआर ने जायफल के रंग और सुगंध को बनाए रखने और एफ्लाटॉक्सिन संदूषण को रोकने के लिए सौर, वैक्यूम और गर्म हवा वाले ड्रायर का उपयोग करके सुखाने के मानक प्रोटोकॉल स्थापित किए हैं।

आईसीएआर-आईआईएसआर ने जायफल से आवश्यक तेल, ओलियोरेसिन और मक्खन निकालने की तकनीक विकसित की है। संस्थान ने जायफल के छिलके (पेरिकार्प) का उपयोग करके अचार, जैम और कैंडी जैसे मूल्यवर्धित उत्पाद बनाने की विधियाँ भी विकसित की हैं।

केरल कृषि विश्वविद्यालय (केएयू) ने फसलोपरांत प्रसंस्करण के लिए बिजली से चलने वाली जायफल छीलने की मशीन विकसित की है और जायफल के छिलके से मूल्यवर्धित उत्पाद बनाने की तकनीक विकसित की है।

(ङ): तमिलनाडु के बागवानी और रोपण फसल विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, तमिलनाडु सरकार ने जायफल उत्पादकों को किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया है, जिससे एकत्रीकरण और प्रत्यक्ष विपणन संभव हो सके, मूल्यवर्धन को बढ़ावा मिल सके और तमिलनाडु खाद्य प्रसंस्करण और कृषि निर्यात संवर्धन निगम (टीएनएपीईएक्स) जैसी निर्यात संवर्धन एजेंसियों के साथ जुड़कर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की पहचान की जा सके और जायफल और इसके उत्पादों के निर्यात को सुगम बनाया जा सके।

पोल्लाची जायफल किसान उत्पादक कंपनी लिमिटेड (पीएनएफपीसीएल) किसान-नेतृत्व वाली पहलों की एक बड़ी सफलता की कहानी है, जिसे आईसीएआर-आईआईएसआर द्वारा उत्पादन प्रौद्योगिकी, ग्रेडिंग और गुणवत्ता मूल्यांकन में विशेषज्ञ प्रशिक्षण से बल मिला है। आईसीएआर-आईआईएसआर द्वारा अनुशंसित फसलोपरांत तकनीकों को अपनाकर, इस किसान उत्पादक संगठन ने सफलतापूर्वक "पोल्लाची जायफल" का ब्रांड स्थापित किया है, जिसमें प्रशिक्षण में अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मानकों (एफ्लाटॉक्सिन मुक्त) पर जोर दिया गया है, जो उच्च मूल्य वाले जायफल के लिए महत्वपूर्ण है।
